[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs

Order

New Delhi, 10th March, 2016

S.O......(E).- In exercise of the powers conferred under the proviso to clause (d) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (Act), the Central Government hereby notifies that the debt to capital and free reserves ratio shall be 6:1 for government companies within the meaning of clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 which carry on Non-Banking Finance Institution activities and Housing Finance activities.

[F.No. 01/04/2013 CL-V(Pt-II)]

10/03/2016

(Amardeep Singh Bhatia)

o/c Joint Secretary to the Government of India

1202/GD/16

Received

10/3/16

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 10 मार्च, 2016

का.आ.   (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (घ) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अर्थ के अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलाप और आवास वित्त कार्यकलाप चलाने वाली सरकारी कंपनियों के लिए पूंजी में ऋण तथा मुक्त आरक्षित का अनुपात 6 : 1 होगा।

[फा.सं. 1/4/2013-सीएल-V (पार्ट- II)]

अमरदीप
10/03/2016

o/c अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव